न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2023
(GCMS 2023/1)(212530483131679)

श्री मोती चौधरी मार्फत कमलेश रानी पुत्री रामकुमार चौधरी चक 17 बीबी,पदमपुर (मोबाईल नम्बर 63783-16754)

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर – रिकॉर्ड शाखा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मोती चौधरी स्वंय उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2022 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उसे बिन्दु संख्या 01 की द्विग भ्रमित करने वाला एवं गलत जवाब देने और बिन्दु संख्या 2 से 5 तक की कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाने के कारण, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2022 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

कुल पत्रावलियों की सूची जो जिला अभिलेखागार मे जमा करवाई है:

1. क्रमांक एफ12/11/II II/राजस्व/87/बस्ता नं. .... इसकी सूची देवें।
2. यदि उक्त पत्रावली तलफ हो गई है तो निम्न सूचना
   (a) सूची रिकॉर्ड तलफी
   (b) रिकॉर्ड तलफी हेतु आदेश की
   बस्ता नं. 375
3. सूचना देवें राज्य कर्मचारी को रिकॉर्ड तलफी के वक्त प्रभारी अधिकारी नोडल अधिकारी (रिकॉर्ड) दिनांक 27.06.2006 कार्यरत थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. सूचना देवें नोडल अधिकारी (रिकॉर्ड) का सेवा एवं स्तर बताएं।
5. सूचना देवें तथा बताएं अधिनियम व नियम जिसकी विशेष विवरण के अन्तर्गत धारा 13(1) का उल्लेख है।

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जि.अभि./328 दिनांक 23.02.203से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 204 दिनांक 15.11.2022 के द्वारा बिन्दु संख्या 1 में पत्रावली का नं. एवं अनवान् के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था जिसमें प्रार्थी द्वारा पत्रावली के नम्बर से अवगत नहीं करवाया है।

बिन्दु संख्या 2 से 5 के सम्बन्ध में प्रार्थी को इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 317 दिनांक 17.02.2023 के द्वारा अवगत करवा दिया है, जिसकी प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
जिला अभिलेखागार
कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी का नियंत्रण हो, दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी** न तो नई सूचना **बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदक को सामग्री उसी रूप मे प्रदान करे जिस रूप मे लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित पत्रावली संख्या, अनवान आदि की जानकारी उपलब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर